<u>**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)**</u>

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी) भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>**प्रकरण संख्या– 53/2017**</u>

1. सुभाष पुत्र स्व0 श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र स्व0 श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
3. रूकमा पुत्री स्व0 श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
4. गुड्डी पुत्री स्व0 श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी गांव मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र खेताराम जाति जाट पूनियां निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा।
2. श्योराम पुत्र खेताराम जाति जाट पूनियां निवासी गांव मलसीसर, तहसील भादरा।
3. ग्राम पंचायत मलसीसर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री खेताराम कस्वां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

<u>**निर्णय**</u> दिनांकः–25.07.2024

अपील अपीलांट विरूद्व नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.10.77 तहसीलदार भू–अभिलेख भादरा जिसकी रूह से गलत व गैरकानूनी तौर से अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरण बिना ही अपीलान्ट को नोटिस, सुनवाई व [illegible] का अवसर दिये विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 [illegible] के पक्ष में स्वीकृत फरमाया गया, को अपास्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swatnkar
Date: 2024.08.05 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. आदेश जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानून, न्याय, नियम व रूहेदाद मिसल व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ के पारित किये जाने के कारण काबिले इखराजी के है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील प्रस्तुत है।

2. आदेश जेर अपील अदालत मातहत लिगल, प्रोपर व करक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।

3. आदेश जेर अपील अदालत मातहत विद्आउट ज्युरिडिक्शन के व आरबिट्री तौर पर पारित किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

4. आदेश जेर अपील अदालत मातहत लैण्ड रेवन्यु व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

5. आदेश जेर अपील अदालत मातहत आर.टी.एक्ट 1955 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

6. यह कि भूमि जेर बहस अपील ग्राम मलसीसर तहसील भादरा के साबिका खसरा नं. 152 तादादी 33 बीघा, 224 तादादी 24 बीघा 14 बिस्व, 407 तादादी 44 बीघा 5 बिस्वा खाम, जिसके वर्तमान सर्वे खसरा नम्बरान 378 तादादी 18 बीघा, 668 तादादी 27 बीघा 10 बिस्वा व 71 तादादी 1 बीघा 8 बिस्वा व अन्य बने है, कुल तादादी 46 बीघा 18 बिस्वा पक्का, जिसका ओरिजनल खातेदार काश्तकार मोहका पुत्र गंगा कौम नाई साकिन मलसीसर था, मोहका के पिता व अपीलान्टान के दादा गंगाराम ने दो शादियां की थी, जिसमें पूर्व शादी की पत्नी से पुरखाराम पैदा हुआ व पूर्व पत्नी की मृत्यु के पश्चात द्वितीय शादी से द्वितीय पत्नी से मोहका व श्योप्रसाद दो पुत्र पैदा हुए, जिसमें मोहका, श्योप्रसाद का माजात सगा भाई था व लावल्द कुंवारा फौत हो गया था। जिसके पीछे केवल मात्र उसका माजात सगा भाई अपीलान्टान का पिता श्योप्रसाद ही उसकी चल–अचल खातेदारी – गैरखातेदारी कृषि भूमि का मालिक व वारिस हुआ। पुरखा का मोहका की खातेदारी – गैरखातेदारी कृषि भूमि व चल–अचल सम्पति में हक अधिकार नही था व पुरखा की मृत्यु के पश्चात पुरखा के पुत्र रामलाल, गिरधारी व सुलतान द्वारा बाई फार्ड के महकमा भू–प्रबन्ध विभाग से मुतनाजा [illegible] श्योप्रसाद के नाम विरासतन नामान्तरण संख्या 289 स्वीकृत होने के बाद उसको निरस्त करवाये 1/2 भाग का नामान्तरण दर्ज करवा [illegible] कोई अधिकार प्राप्त नही हुए। मोहका पुत्र गंगा कौम नाई साकिन मलसी[illegible] के नाम से मुतनाजा भूमि का नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 31.5.1961 को खातेदारी का ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा स्वीकृत फरमाया गया था व उसकी मृत्यु के पश्चात मुतनाजा भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 10.12.1968 को ग्राम पंचायत मलसीसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

द्वारा अपीलान्ट के पिता श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज कर स्वीकृत फरमा दिया गया व उसके पश्चात बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना किसी बैयनामा के रामलाल, गिरधारी व सुलतान पिसरान पुरखा जाति नाई निवासी मलसीसर द्वारा उक्त खातेदारी कृषि भूमि में 1/2 भाग में बिना किसी सक्षम न्यायालय के स्वीकृत नामान्तरण के महकमा बन्दोबस्त से अपना नाम दर्ज करवा लिया व उसके पश्चात बिना खाता विभाजन करवाये व फरेगमेन्ट बनते हुए मुतनाजा भूमि में से वर्तमान सर्वे खसरा नं. 668 की 27 बिघा 10 बिस्वा भूमि में से आधा हिस्सा 13 बिघा 15 बिस्वा का बैयनामा बिना अपीलान्ट के पिता व अपीलान्टान की सहमति के करवा दिया, बाई फार्ड के उनका मुतनाजा भूमि में कोई हक हिस्सा नही होते हुए करवा दिया गया, जो बैयनामा प्रारम्भ से ही शुन्य है व उसके पश्चात उक्त एबइनिशियों वॉयड बैयनामा के आधार पर अपीलान्टान के पिता व अपालान्टान को बिना किसी प्रकार का नोटिस, सुचना, सुनवाई का अवसर दिये बाई फार्ड के रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम से स्वीकृत फरमा दिया गया जो कि नामान्तरण हर प्रकार से इनलिगल व वॉयड एबइनिशियो होने के कारण निरस्तनीय है।

7. भादरा तहसील की सिलिंग लिमिट 80 बिघा भूमि थी जिसका 1/5 भाग कानूनन फरेगमेंन्ट बनता है जो कि 16 बिघा होता है व वादग्रस्त भूमि का जो बेयनामा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 2 के पक्ष में रामलाल, गिरधारी व सुलतान पिसरान पुरखा जाति नाई निवासी मलसीसर द्वारा बाई फार्ड के करवाया गया है वो 16 बीघा से कम भूमि का होने के कारण व बिना खाता विभाजन करवाये खसरा खोलकर विक्रय किये जाने के कारण धारा 42 आर.टी.एक्ट व धारा 211 आर टी एक्ट के मैनेडेन्टरी प्रोविजन के विपरीत होने के कारण एब इनिशियों वॉयड है व उस पर आधारित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण स्वतः ही एब इनिशियों वॉयड है। इस प्रकार कानून के विरूद्ध, जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वो हर प्रकार से विधि विरूद्ध तरीके से पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टान पक्षकार नही थी व आदेश जेर अपील अदालत मातहत से एग्रिवड पक्षकार है सो [illegible] वाला की पूर्वानुमति से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, व उनको अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested

9. अपीलान्टान का पिता श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम फौत हो चुका है, जिसके अपीलान्टान जायज व कानूनी वारिसान होने के कारण मुतनाजा भूमि के कानूनन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 व आर.टी.एक्ट. 1955 के प्रावधानों के मुताबिक कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक खातेदार काश्तकार है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

10. दीगर वजुआत पर भी अपील काबिले मन्जुरी के है जो कि तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जाएगे।

11. अपील पूर्ण न्याय शुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में व ईल्म की दिनांक 06.10.2017 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है व साथ में दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र मियाद कन्डोन किये जाने बाबत अलग से प्रस्तुत है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे व अपीलान्टान को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का फायदा दिया जावे।

अतः अपील अपीलान्टान सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.10.1977 निरस्त फरमाया जावे व मुतनाजा भूमि का नामान्तकरण अपीलान्टान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य कोई अनुतोष नियम व कानून से मिलता हो दिया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री नरेन्द्रकिशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षी बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मोहका, श्योप्रसाद का सगा भाई था व लावल्द कुंवारा फौत हो गया था, जिसके पीछे केवल मात्र उसका सगा भाई अपीलान्ट का पिता श्योप्रसाद ही उसकी चल–अचल खातेदारी – गैरखातेदारी कृषि भूमि का मालिक व वारिस हुआ । पुरखा का मोहका की खातेदारी – गैरखातेदारी कृषि भूमि व चल–अचल सम्पति में हक अधिकार नही था व पुरखा की मृत्यु के पश्चात पुरखा के पुत्र रामलाल, गिरधारी व सुलतान द्वारा महकमा भू–प्रबन्ध विभाग से मुतनाजा भूमि के श्योप्रसाद के नाम विरासतन नामान्तरण संख्या 289 स्वीकृत हो[illegible] उसे बिना निरस्त करवाये 1/2 भाग का नामान्तरण दर्ज [illegible] पुत्र गंगा कौम नाई साकिन मलसीसर के नाम से मुतनाजा भूमि का [illegible] संख्या 159 दिनांक 31.5.1961 को खातेदारी का ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा स्व[illegible] फरमाया गया था व उसकी मृत्यु के पश्चात मुतनाजा भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 10.12.1968 को ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा अपीलान्ट के पिता श्योप्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज कर स्वीकृत फरमा दिया गया व उसके पश्चात बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के व बिना किसी बैयनामा के रामलाल, गिरधारी व सुलतान पिसरान पुरखा जाति नाई निवासी मलसीसर द्वारा उक्त खातेदारी कृषि भूमि में 1/2 भाग में बिना किसी सक्षम न्यायालय के स्वीकृत नामान्तरण के महकमा बन्दोबस्त से अपना नाम दर्ज करवा लिया व उसके पश्चात बिना खाता विभाजन करवाये व वर्तमान सर्वे खसरा नं. 668 की 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से आधा हिस्सा 13 बीघा 15 बिस्वा का बैयनामा बिना अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट की सहमति के करवा दिया। उनका मुतनाजा भूमि में कोई हक हिस्सा नही होते हुए करवा दिया गया, जो बैयनामा प्रारम्भ से ही शुन्य है व उसके पश्चात उक्त बैयनामा के आधार पर अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार का नोटिस, सूचना, सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम से स्वीकृत फरमा दिया गया। अतः नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.10.1977 खारिज कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्तार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.10.1977 को बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट सद्भावी क्रेता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण का अध्ययन किया गया एंव पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.10.1977 बैयनामा के आधार पर दर्ज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.10.1977 दर्ज करनें में कोई भूल कारित नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)